

दिनांक : 01.01.2015

94/110 शाहीनगर, मरठा



प्रमाण/प्रमाण सं ३८७/२ पर निम्नलिखित

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पाँच वर्ष तक वैध है।

- इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ० न० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 28 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र भी प्रो।

प्रतिलिपि :- अवर अभियन्ता देवतन विडे जैन - नि को प्रेषित।

प्रभारी मानचित्र
जोन (A)

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥